



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-83/2023

भोला बैठा

बनाम्

श्यामकिशोर मोची

—: आदेश :—

31/9
वर्तमान वाद की प्रक्रिया भोला बैठा, पिता-स्व० चूल्ही बैठा, ग्राम-मोंगर, पो०-मोंगर, थाना+जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता श्यामकिशोर मोची पिता-स्व० जागो मोची, ग्राम-केडू, पो०-मोंगर, थाना+जिला-लातेहार के साथ मौजा-मोंगर, अंचल-लातेहार, खाता संख्या-163, प्लॉट संख्या-291 रकबा-0.68 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक-693 दिनांक 12.09.2023 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक-693 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम-मोंगर खाता संख्या-163, प्लॉट संख्या-291 रकबा-0.68 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी सह जमाबंदी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही थाना के निवासी है। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल- $2.69\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात्

भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। भूमि बिक्री की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता भोला बैठा, पिता-स्व० चूल्ही बैठा, ग्राम-मोंगर, पो०-मोंगर, थाना+जिला-लातेहार को क्रेता श्यामकिशोर मोची पिता-स्व० जागो मोची, ग्राम-केडू, पो०-मोंगर, थाना+जिला-लातेहार के साथ मौजा-मोंगर, अंचल-लातेहार, खाता संख्या-163, प्लॉट संख्या-291 रकबा-0.68 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।